

फर्द अहकाम

नियम 26

अदालत.....उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा.....मुकाम.....भादरा.....

रविकुमार बनाम् राजेन्द्र आदि

मुकदमा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट नं० 200/2021 रान् 2021

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
-----------	----------------------------------	---

11.2021 आज यह बाद जरिये वकील वादी के द्वारा पेश किया। रिपोर्ट सिंगेदार होने के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलवी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 22.12.2021 को पेश है।

22<sup>12</sup>/<sub>21</sub> पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 21.03.22 को पेश है।

21<sup>03</sup>/<sub>22</sub> पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी ल०। राजेन्द्र श्री झोर व एस.श्री प्रियाम पुन्दर शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली वास्ते तलवी पेश दिनांक 05.04.22 को पेश है।

05<sup>04</sup>/<sub>22</sub> पत्रावली पेश हुई। वसुधा फर्दिग उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति के पारिवारिक समझौता होने के कारण वकील वादी के उक्त प्रकरण को विद्रा करना चाहते हैं। पत्रावली विद्रा। खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दारिखल इफ्तार है।

वादी व प्रतिवादीगण के आपसी सहमति के कारण प्रकरण को विद्रा करना चाहते हैं।

रवि  
पेशवाकर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)